<u>न्यायालय: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 बांरा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी - प्रमोद कुमार शर्मा, आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप0 अपील प्रकरण सं0 - 13/2019

सी0आई0एस0 नंबर - 119/2018

सी0एन0आर0 नंबर - RJBR010008122018

राजेन्द्र श्रीवास्तव उम्र 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल निवासी डी-45 शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां। -अपीलार्थी-

- बनाम -

राज० सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां - रेस्पोडेन्ट -

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांकित 06.08.2018 जो श्रीमति अम्बिका अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा फौजदारी प्रकरण सं0 213/2011, बउनवान सरकार बनाम राजेन्द्र, जुर्म दफा 420,409 <u>भा0दं0सं0 में पारित किया गया।</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1- श्री भारत भूषण सक्सेना, अधिवक्ता, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- अपर लोक अभियोजक बारां, रेस्पो0 की ओर से।

- निर्णय - दिनांक :- 07.04.2026

1. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के आपराधिक प्रकरण संख्या 213/2011 बउनवान सरकार बनाम राजेन्द्र में पारित निर्णय दिनांकित 06.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/अभियुक्त को धारा 420 भा०द०सं० के आरोप में दोषमुक्त एवं धारा 409 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दो वर्ष का साधारण कारावास व 1000/-रू0, अक्षरे एक हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को तीस दिन के साधारण कारावास से दंडित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील दिनांक 16.08.2018 को न्यायालय जिला एवं सेशन् न्यायाधीश, बारां के यहॉ प्रस्तुत की गई जहॉ से कालान्तर में अंतरित होकर निस्तारण हेतु दिनांक 06.09.2019 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी के तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी शंभूनाथ प्रसाद एईएन जे०वी०एन०एल०ए०-॥ बारां ने थाना कोतवाली बारां में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अभियुक्त राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव क.लि. कार्यालय एईएन, जे.वी.वी.एन.एल. (A-II) बारां ने दिनांक 13 व 14 दिसम्बर, 2007 को कार्यालय खिड़की पर उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की राशि जमा की थी। उपभोक्ता श्री रमेशचन्द निवासी मोठपुर खाता सं. 01337 व श्री चंद्रप्रकाश निवासी तलावड़ा

खाता सं. 01007 द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्रों की उनके द्वारा माह दिसम्बर, 2007 में विद्युत बिलों की राशि क्रमशः 6373/- रुपए व 2032/- रुपए जमा करवा दिए जाने के उपरांत भी वर्तमान बिलों में पिछली बकाया राशि आ रही है, जबकि उनके पास जमा राशि की रसीद मौजूद है। प्रार्थना पत्रों पर सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) से जांच करवायी गयी तो उक्त दोनों उपभोक्ताओं द्वारा जमा राशि का रोकड़ बहीं में कोई इंद्राज नहीं पाया गया। उपभोक्ता श्री रमेशचन्द्र द्वारा रसीद नं. 02 पर जमा राशि के स्थान पर खाता संख्या 17301 की राशि 1669/- रूपये व श्री चंद्रप्रकाश द्वारा रसीद नं. 46 पर जमा राशि के स्थान पर खाता सं. 15152/- की राशि 583/- रुपए का इंद्राज होना पाया गया। अभियुक्त राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा उक्त दोनों उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की राशि 6373/-रुपए व 2032/- रुपए का रोकड बही में इन्द्राज नहीं कर राशि अपनी जेब में रख ली, गबन किया। अभियुक्त राजेन्द्र कुमार द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार का अपराध किया गया है, इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नं0 111/08 धारा 420, 409 आई.पी.सी. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध भा० दं० सं० की धारा 420, 409 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये, सुन व समझकर उपरोक्त अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही ।अभियोजन ने अपने समर्थन में गवाह पी०डब्ल्यू 1 लगायत पी०डब्लयू-11 के बयान लेखवद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-21 को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया तो उसने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व झूंठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

4. बहस अंतिम सुनी जाकर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त राजेन्द्र को धारा 420 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त तथा धारा 409 भा०द०सं० के आरोप में दोषी मानकर उक्तानुसार दंडित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई।

5. बहस अपील सुनी गयी। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क किये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य एवं विधि को अनदेखा करते हुए त्रूटिपूर्ण रूप से पारित किया गया है। मात्र संभावनाओं के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त के केशियर के पद पर नियुक्त होने का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है, न ही अभियुक्त के द्वारा कभी केशियर का कार्य किया गया है। अभियुक्त को रूपये न्यस्त किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। जिन

उपभोक्ताओं के द्वारा बिल जमा करवाया जाना बताया है, स्वयं उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट में बिल की राशि अभियुक्त को दिये जाने के कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में परिवादी शंभुनाथ के अभियुक्त से मतभेद थे, इस कारण उसके द्वारा अभियुक्त को जानबूझकर झूंठा फंसाया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकरण भी उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश का निर्णय अपास्त करते हुए अपील स्वीकार किये जाने एवं अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः साक्ष्य एवं विधि पर आधारित है, जिसमें कोई त्रूटि नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अपने समर्थन में न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अजा/जजा अत्याचार निवारण प्रकरण, बारां के आपराधिक प्रकरण सं0 3/25 के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गयी।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलीय न्यायालय को यह देखा जाना है कि-" **क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य एवं विधि के अनुसार उचित रूप से पारित किया गया है अथवा नहीं" ?**

8. प्रकरण में परिवादी शंभुनाथ प्रसाद सहायक अभियंता जे.वी.वी. एन.एल.-द्वितीय बारां की ओर से थाना कोतवाली बारां में प्रस्तुत की गयी लिखित रिपोर्ट, निगम के दो उपभोक्ता रमेशचंद खाता सं0 01337 व चन्द्रप्रकाश खाता सं0 01007 के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनकी ओर से माह दिसंबर, 2007 के विद्युत बिलों की राशि क्रमशः 6,373/- व 2032/-रू0 जमा करवाये जाने के उपरांत भी वर्तमान बिलों में पिछली राशि बकाया आ रही है, जबकि उनके पास जमा राशि की रसीदें मौजूद है। उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों पर परिवादी के द्वारा अपने कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी से जांच करवाये जाने के उपरांत उक्त लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली बारां को प्रषित करना बताया है।

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण प्रमाणित किये जाने के उद्धेश्य से जो साक्षीगण पी0ड0-1 लगायत पी0ड0-11 तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-21 प्रस्तुत किये गये हैं, उनके आधार पर इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को परीक्षित किया जाना है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से पत्रावली पर परीक्षित साक्षी अमर सिंह पी0ड0-1 पुलिस की ओर से फर्द नमूना स्टेम्प प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 पुलिस द्वारा

अपने समक्ष लिये जाने के संबंध में परीक्षित हुआ हैं, जिसके द्वारा यह अतिरिक्त कथन किये गये हैं कि वह जे.वी.वी.एन.एल. बारां में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है, उनके ऑफिस में अभियुक्त राजेन्द्र एल.डी.सी. था जो राजस्व शाखा में काम करता था व बीच बीच में उसे केश काउन्टर पर बिठा दिया जाता था। अभियुक्त की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किये गये हैं कि जिस सील का नमूना लिया गया है, वह केशियर के पजेशन में होती है। केश काउन्टर पर मौखिक आदेश से बिठाया जाता था।

10. इसी प्रकार साक्षी प्रहलाद पी0ड0-3 अपने विभाग की केशबुक के पेज जप्त किये जाने के संबंध में पत्रावली पर परीक्षित करवाया गया है, जिसके द्वारा केश बुक के पेज प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 को पुलिस द्वारा अपने सामने जर्ये फर्द प्रदर्श पी-8 जप्त किये जाने के कथन किये गये हैं तथा यह कथन भी किये गये हैं कि राजेन्द्र श्रीवास्तव दिनांक 13-12-2007 से 14-12-2007 को क्लर्क के पद पर तैनात था जो केश जमा करने का काम करता था। बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किये गये हैं कि केशबुक ए.ई.एन. के पास थी, जिसके पास से जप्त की थी। केश जमा करने के बाद केशुबुक बाबू के पास रहती है। दिनांक 13-12-2007 के तीन पेज एवं दिनांक 14-12-2007 का एक पेज जप्त किया था, जिसमें क्या राशि थी उसे ध्यान नहीं है। इस बात की भी जानकारी होने से इन्कार किया है कि केशबुक पर राजेन्द्र के हस्ताक्षर हैं या नहीं एवं यह स्वीकार किया है कि चार पेजों के अलावा बाकी की केशबुक उसके समक्ष नहीं है। पूरी केशबुक जप्त नहीं की गयी थी।

11. अन्य साक्षी रामचंद उर्फ रामचरण पी0ड0-6 भी केशबुक के पेज नंबर-40 लगायत 43 जप्त किये जाने के संबंध में परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा फर्द जप्ती प्रदर्श पी-8 पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं तथा जिरह में यह स्वीकार किया है कि उस समय वह स्वयं केशियर था, पेज उसने ही निकालकर दिये थे। प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, जिसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 तक की केशबुक में कोई त्रूटि नहीं है।

12. प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले साक्षी शंभूनाथ प्रसाद पी0ड0-5 के द्वारा सशपथ परीक्षित होकर फरवरी, 2008 में राजन्द्र कुमार उसके कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत होने के कथन करते हुए उपभोक्तागण चन्द्रप्रकाश एवं रमेशचंद द्वारा बिल जमा करने के बावजूद राशि ज्यादा आने प्रार्थनापत्र व बिल मय रसीद पेश किये जाने, जिसकी जांच उसके ऑफिस के बिल द्वारा किये जाने पर राजेन्द्र दोषी पाये जाने आदि के कथन किये गये हैं तथा उपभोक्ता रमेशचंद व चन्द्रप्रकाश द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को प्रदर्श पी-9 व प्रदर्श पी-10 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। जबकि उपभोक्ता रमेशचंद का असल बिल प्रदर्श पी-11(21A) व चन्द्रप्रकाश का

बिल प्रदर्श पी-12 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। साथ ही इस साक्षी द्वारा अन्य दस्तावेजों के साथ साथ अपने विभाग का हाजरी रजिस्टर भी प्रदर्श पी-16 के रूप में पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया है। बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र केशियर के पद पर काम कर रहा था, इसका कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है व ऐसा कोई कार्यालय आदेश भी नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि राजेन्द्र केशियर के पद पर कार्य करेगा। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जो बिल काउन्टर पर जमा हुए, उस पर राजेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं है। अभियुक्त राजेन्द्र एल0डी0सी0 के पद पर था, जिसे किस आदेश से मोहर दी गयी वह आदेश भी पत्रावली पर नहीं है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि राजेन्द्र द्वारा सील प्राप्त करने का कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। सील हेड केशियर के पास रहती है, वह केशियर को जारी करता है। साक्षी द्वारा केशबुक प्रदर्श पी-4 पर भी राजेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं होने एवं केशबुक के कुछ पेज पर ही होने के सुझाव को भी स्वीकार किया है।

13. प्रकरण में परिवादी को उपभोक्ता के प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के बाद उसकी ओर से उनकी जांच जिस राजस्व अधिकारी से करवायी जाना बताया है, वह जांचकर्ता शैलेन्द्र कुमार विजय पत्रावली पर पी0ड0-4 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसको सहायक अभियंता शंभुनाथ द्वारा रमेशचंद व चन्द्रप्रकाश के प्रार्थनापत्र जांच करने हेतु दिये जाने तथा उसके द्वारा जांच किये जाने पर राजेन्द्र कुमार द्वारा रमेशचंद के खाता सं0 01337 का बिल 6373/-रू0 की जमा की रसीद दिये जाने, जिसका केशबुक में अभियुक्त द्वारा सीरियल नंबर 2 पर इन्द्राज किये जाने, जबकि केशबुक देखे जाने पर उसमें सीरियल नंबर 2 पर खाता सं0 17301 का 1669/-रू0 जमा होने व रमेशचंद 6373/-रू0 का इन्द्राज नहीं होने के कथन किये हैं। इसी प्रकार अन्य उपभोक्ता चन्द्रप्रकाश के प्रार्थनापत्र की जांच किये जाने पर उसका खाता सं0 01007 के 2032/-रूपये जमा करने का इन्द्राज केशबुक के सिरियल नंबर 46 पर किये जाने, जबकि केशबुक चैक किये जाने पर उस पर खाता सं0 15152 पर 583/-रू0 जमा होने के कथन किये गये हैं तथा अभियुक्त राजेन्द्र श्री वास्तव द्वारा उक्त दोनों राशि जमा नहीं कर राशि का गबन किया जाना बताया है।

14. उक्त प्रकार से प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है, उसमें परिवादी के अतिरिक्त उसके विभाग के कई अन्य साक्षीगण उक्तानुसार परीक्षित हुए हैं। उक्त समस्त साक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को देखे जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त साक्षीगण द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव को प्रश्नगत संव्यवहार के समय कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापित रहना कहा है। इस बाबत साक्षी पी0ड0-1 अमर सिंह के द्वारा यह कथन किये गये हैं कि अभियुक्त राजेन्द्र राजस्व शाखा में काम करता था, जिसे बीच बीच में केश काउन्टर पर बिठा

दिया जाता था। जबकि परिवादी शंभुनाथ पी0ड0-5 द्वारा अभियुक्त का कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत होना स्वीकार किया है, जिसके द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे स्वयं उसके अथवा किसी अन्य अधिकारी की ओर से प्रश्नगत संव्यवहार की दिनांकों 13.02.2007 एवं 14.02.2008 को विभाग के किसी भी आदेश से केशियर के पद पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया हो। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किये हैं कि कनिष्ठ लिपिक को ही केशियर का काम दिया जाता है। जबकि इस संबंध में स्वयं अभियोजन का साक्षी रामचन्द्र उर्फ रामचरण पी0ड0-6 पत्रावली पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी जिरह में उस दिन स्वयं का ही केशियर के पद पर नियुक्त होना एवं केशियर का कार्य उसके द्वारा किया जाना कथन किया है। इस संबंध में परिवादी पी0ड0-5 ने जिरह में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति भी की है कि राजेन्द्र केशियर के पद पर काम कर रहा था, इसका कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है।

प्रकरण में जिन दो उपभौक्तागण रमेशचंद एवं चन्द्रप्रकाश के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-9 व प्रदर्श पी-10 के साथ प्रस्तुत बिल तथा रसीदों के आधार पर यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है, वे बिल पत्रावली पर प्रदर्श पी-21ए व प्रदर्श पी-12 के रूप में प्रदर्शित हुए हैं, जिन पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता की सील मोहर अंकित होकर उस पर लाल स्याही से सीरियल नंबर एवं राशि अंकित किया जाना प्रकट हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त जमा राशि के दोनों मूल बिल परिवादी के विभाग अथवा कार्यालय से जप्त नहीं किये जाकर स्वयं उपभोक्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जिसमें मात्र उक्त मोहर लगाये जाने एवं उस पर लाल स्याही से राशि अंकित किये जाने के आधार पर ही परिवादी की ओर से यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। यद्यपि परिवादी द्वारा उक्त मोहर को अपने विभाग की होना माना गया है, परंतु उक्त दोनों बिलों पर अंकित मोहर परिवादी की विभागीय मोहर ही रही है, इस संबंध में पत्रावली पर कोई विनिश्चायक साक्ष्य मौजूद होना प्रकट नहीं हुआ है। यद्यपि इस बाबत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी की विभागीय मोहर का नमूना फर्द प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 पर लिया गया है, परंतु उक्त मोहर को जप्त किया जाकर फर्द नमूना स्टेम्प की उक्त् फर्दों प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 को बिल प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-21ए के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु नहीं भिजवाया गया है। ऐसे में परिवादी की विभागीय मोहर ही दोनों बिल प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-21ए पर लगाये जाने संबंधी कोई विशेषज्ञ जांच का नतीजा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही ऐसी कोई जांच अनुसंधान अधिकारी द्वारा करवायी जाना प्रकट हुआ है। इस संबंध में स्वयं परिवादी अथवा अन्य किसी साक्षी द्वारा ऐसे कोई कथन न्यायालय में नहीं किये गये हैं, जिसके अनुसार परिवादी के विभाग की उक्त मोहर के समान दूसरी मोहर का बाजार में बनाया जा सकना ही संभव

नहीं हो। जबकि स्वयं अभियोजन के साक्षीगण जिसमें परिवादी पी0ड0-5 तथा जांच अधिकारी पी0ड0-4 भी सम्मिलित हैं, के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दोनों उपभोक्तागण के बिलों पर अभियुक्त राजेन्द्र या जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में स्वयं अभियोजन के साक्षी रामचरण पी0ड0-6 के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि केशबुक प्रदर्श पी-4 से प्रदर्श पी-7 तक में कोई त्रूटि नहीं है। स्वयं अभियोजन साक्षी शैलेन्द्र विजय पी0ड0-4 के द्वारा केशबुक प्रदर्श पी-4 व प्रदर्श पी-5 पर राजेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं होना भी स्वीकार किया गया है, जबकि प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर होना कहा है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से अपने विभाग का कर्मचारीगण उपस्थिति रजिस्टर साक्ष्य में प्रदर्श पी-16 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें क्रम सं0-5 पर अभियुक्त राजेन्द्र श्री वास्तव का नाम अंकित होकर उसके समक्ष उसकी दैनिक उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, जिन सभी में अभियुक्त द्वारा अपने प्रथम नाम से हस्ताक्षर करना स्पष्ट है। जबकि प्रदर्श पी-6 पर उसके जो हस्ताक्षर बताये हैं, उसमें अभियुक्त का प्रथम नाम नहीं लिखा जाकर उसका उपनाम "श्री वास्तव" अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श पी-7 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर के स्थान पर केवल "श्री" शब्द अंकित है, जिन्हें अभियोजन के गवाहों द्वारा अभियुक्त के हस्ताक्षर होना बताया है। स्पष्ट है कि केशबुक के उक्त दोनों पृष्ठों पर अंकित हस्ताक्षर अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव के हाजिरी रजिस्टर पर अंकित हस्ताक्षरों से पूर्णतः भिन्न है, जिन्हें अभियुक्त के ही हस्ताक्षर होना अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है।

15. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त से धीमी गति, मध्यम गति एवं तेज गति में विभन्न संख्या लिखवायी जाकर उनका मिलान बिल प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी-21ए से किये जाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श सी-1 के रूप में उपलब्ध है, जिसके अनुसार उक्त दोनों बिलों पर अंकित किये गये अंकों के लेख में अभियुक्त द्वारा लिखे गये विवादरहित अंकों से समानता पाया जाना बताया गया है। इस प्रकार यद्यपि दोनों बिलों पर अंकित राशियों के अंको का लेख अभियुक्त के स्वीकृत लेख के समान होना बताया है। परंतु इस बाबत विशेषज्ञ की राय अन्य साक्ष्य से पुष्टि के अभाव में अधिक महत्व नहीं रखती है तथा मात्र अंकों के लेख का मिलान स्वीकृत लेख से होने के आधार पर ही अभियुक्त को संभावनाओं के आधार पर आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध किया जा सकना इस न्यायालय के मत में उचित नहीं है। चूंकि आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन को अपना प्रकरण समस्त संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। अतः पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में मात्र संभावनाओं के आधार पर उक्त दोनों बिलों पर अभियुक्त के ही हस्तलेख में अंक लिखा जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, जबकि पूर्व में की गयी विवेचना के अनुसार दोनों बिलों पर न तो अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, न ही यह तथ्य प्रमाणित है कि

अभियुक्त को परिवादी के विभाग के किस आदेश द्वारा संबंधित कर्मचारी की ओर से राशि जमा करने की मोहर कब अंतरित की गयी। जबकि उक्त मोहर स्वीकृत रूप से विभाग के हेड केशियर की अभिरक्षा में रहने के तथ्य साक्ष्य में बताये गये हैं।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिल जमा करवाने वाले साक्षी गिर्राज पी0ड0-1 तथा रमेशचंद पी0ड0-7 के द्वारा अपना बिल किस बाबू को जमा करवाया गया, इस बारे में कोई कथन अपने बयानों में नहीं किये गये हैं। यद्यपि साक्षी चन्द्रप्रकाश पी0ड0-8 के द्वारा कथन करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र को बिल जमा करवाना बताया है, परंतु इस बाबत उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी-10 में कोई भी तथ्य क्यों अंकित नहीं किया गया कि उसके द्वारा बिल की राशि जमा करने हेतु अभियुक्त राजेन्द्र को दी गई, इसका कोई कारण उक्त साक्षी द्वारा नहीं बताया गया है। यहां तक कि जिरह में भी उसके द्वारा यह कथन किये गये हैं कि जिस समय बिल जमा करवाया गया, उस समय कितने व्यक्तयों की डयूटी थी, उसे पता नहीं है तथा जिसको बिल जमा करवाया उसका नाम पता नहीं है। यद्यपि बाद में उसके द्वारा पुनः बिल जमा करने वाले का नाम राजेन्द्र श्रीवास्तव बताते हुए बिल प्रदर्श पी-12 पर राजेन्द्र के हस्ताक्षर होने के कथन भी किये हैं। जबकि प्रदर्श पी-12 को देखे जाने पर उसमें अभियुक्त के कोई हस्ताक्षर होना प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि विभाग के दोनों उपभोक्ता रमेशचंद एवं चन्द्रप्रकाश के द्वारा लोक सेवक के रूप में अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव को ही अपने बिलों की राशि जमा किये जाने के उद्धेश्य से न्यस्त की गयी हो, जिसका न्यास भंग उसके द्वारा किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के तथ्य साक्ष्य से दर्शित नहीं हुए हैं। अतः इस न्यायालय के मत में विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के द्वारा अपने आपराधिक प्रकरण सं0 213/2011 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06-08-2018 में अपीलार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव की दोषसिद्धी एवं दण्डादेश को साक्ष्य एवं विधि अनुसार उचित नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

- <u>आदेश</u> -

16. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव उम्र 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल निवासी डी-45 शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा अपने आपराधिक नियमित प्रकरण सं0 213/2011, सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव में पारित आलौच्य निर्णय

दिनांकित 06-08-2018 में अभियुक्त राजेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 409 भा0दं0सं0 के संबंध में पारित की गई दोषसिद्धी व दण्डादेश को अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराध 409 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-1 बारां जिला बारां(राज0)

18. आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-1 बारां जिला बारां(राज0)

.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.16 18:52:51 IST